न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

...– 99/2020

उनवान

1 कंचन देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद वैष्णव उम्र वयस्क निवासी पांडोलाई तहसील भीनाय जिला अजमेर राज.
2 चान्द पुत्री मदन दास बैरागी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
3 धनराज पिता मदनदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
4 भंवरी देवी पत्नि बालमुकन्द वैष्णव उम्र वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
5 रामगोपाल पिता नारायण दास बैरागी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.

———————(प्रार्थीगण)

1. रतनदास पिता नारायण दास बैरागी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
2. नारायण सिंह पिता उगमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
3. वीरसिंह पिता शैतान सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
4. कैलाश पिता नाथूदास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उगमा चौहान का खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा
5. खाना पिता लादू गुर्जर निवासी उम्र वयस्क निवासी उगमा चौहान का खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा
6. रामदेव पिता रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी उगमा चौहान का खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
7. भूवाना पिता बन्ना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
8. भैरू पिता देबी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उगमा चौहान का खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
9. रामस्वरूप पिता गोपाल दास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उगमा चौहान का खेडा तहसील फुलियाकंला, भीलवाडा
10. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा।
11. चेतन पिता रघुनाथ बैरवा उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
12. बजरंग पिता गोकलदास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उगमा का खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.

———————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 16.12.2020

: : निर्णय : :

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 14.10.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम उमा का खेडा पटवार मण्डल मालीखेडा मू0अ0नि0 धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 100 के आ0न0 165, 191/721, 194, 195, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 387, 388/692, 400, 401, 441 किता 17 रकबा 5.62 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य **आराजीयात** के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी **अपने खाते** की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश **[illegible] कराया** जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 14.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों **[illegible] जाहिर** करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध **[illegible] होने** के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 16.12.2020 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, **[illegible] होने से** उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर **[illegible] को सुना** गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध **[illegible] का ध्यानपूर्वक** अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त **[illegible] की कृषि** भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की **[illegible] हकदार हैं**। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

02.06.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 एवं 151 जा.दी पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बधित मूल राजस्व वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल वाद संख्या 387/2016 दिनांक 13.02.2020 को इस न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी/वादी की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय अनुतोष से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ है। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौराने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित कलमों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष सुनवाई दिनांक 13.02.2020 को नियत मूल वाद संख्या 387/2016 पर सुनवाई के समय वादी के नियुक्त अधिवक्ता घरेलू कार्य के चलते अनुपस्थित थे, किन्तु स्वयं वादी न्यायालय परिसर में ही मौजूद था। न्यायालय कक्ष के बाहर पैशी तारीख मिलने का इन्तजार कर रहा था। उसी अन्तराल में वादपत्र अमद हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो, निर्णित हो चुका था। वादी पक्ष को इसकी जानकारी दिनांक 20.02.2020 को हुई।

न्यायालय के समक्ष वादी पक्ष के उपस्थित नही हो पाने का कारण वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त रहा है। वाद वादी को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित एंव आवश्यक है अन्यथा वादी/प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र संख्या 387/2016 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें।

मैनें प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की प्रस्तुत बहस पर मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आवश्यक दस्तावेजात एंव मूल राजस्व वाद संख्या 387/2016 का बारीकी से अध्ययन एंव विश्लेषण किया। हेतुक के तौर पर अधिवक्ता द्वारा अवगत कराये गये कारण, न्यायालय वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त मानता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र संख्या 387/2016 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश के साथ, खारिज होने से पूर्व वादपत्र में नियत चरण यानि प्रस्तुतिकरण जवाब प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व 151 जा.दी. से ही पुनः आरम्भ किये जाने के आज्ञा दी जाती है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां